बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण(नियोजन),बिहार,पटना।

अनौपचारिक रूप से आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा परामर्शित ।

पत्रांक-2/यो0-5010/2016- पटना-01, दिनांक-

प्रेषक,

कामेश्वर प्रसाद,
उप सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
(ले0 एवं ह0)
वीरचन्दपटेल पथ, पटना ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2016–17 में ''सीमा पार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो''** योजनान्तर्गत गठित बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के कार्यान्वयन हेतु ₹4,00,00,000 (रुपये चार करोड़) मात्र की लागत पर योजना के व्यय की स्वीकृति ।

आदेश:-**स्वीकृत ।**

12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ''सीमा पार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो'' योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्त विभाग के पत्र संख्या-ब0-17/बी0 एस0 जी0-18/2016-423/वि0 दिनांक 31.03.2016 एवं संकल्प सं0 2063/वि0 दिनांक-11.03.16के आलोक में बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरों के कार्यालय को सूचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु ₹4,00,00,000 (रुपये चार करोड़)मात्र के व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. पिछले दो दशकों में आर्थिक वैश्वीकरण एवं वित्तीय उदारता की नीति अपनाए जाने के फलस्वरूप नियोजन बाजार की सीमा अन्तर्राजीय सीमा को लांघकर अंतर्देशीय हो गयी है । इस ब्यूरो को सुचारू रूप से चलाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹4,00,00,000 (रुपये चार करोड़)मात्र का योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध उपलब्ध है । उपबंधित राशि के द्वारा बिहार राज्य के इच्छुक आवेदकों को विदेशों में नियोजन, इमीग्रेशन सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्य का संपादन तथा संबंधित रिक्रूटिंग एजेंट, कन्सल्टेन्ट एवं नियुक्ति करने वाले प्रतिष्ठानों के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो में रिक्त पदों पर होने वाली नियुक्ति के पश्चात कर्मियों के पारिश्रमिक पर व्यय किया जाना है।

3. इस योजना के अन्तर्गत व्यय मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार, उप मुख्य शीर्ष-02-रोजगार सेवाएँ-समूह शीर्ष-राज्य योजना, लघु शीर्ष-101-रोजगार सेवाएँ-उप शीर्ष-0112- ''सीमा पार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो'', मांग संख्या-26, विपत्र कोड-P2230021010112 के विषय शीर्ष-31 04 -''सहायक अनुदान-वेतन''मद हेतु ₹1,00,00,000(एक करोड़) एवं 31 06-''सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा'' मद हेतु ₹3,00,00,000(तीन करोड़) के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

4. इस योजना के राशि की निकासी,निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,निदेशालय नियोजन(मुख्यालय) द्वारा करते हुए ''बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो'' जो सोसायटी के रूप में गठित है, के PLA A/C no-281 में हस्तांतरित कर दिया जायेगा । राशि की निकासी BTC Form-46 से की जायेगी।

5. उक्त योजनान्तर्गत राशि का आवंटनादेश निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत किया जायेगा जो नियंत्री पदाधिकारी हैं ।

6. योजना हेतु आवश्यक उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है । यह चालू योजना है ।

7. संचिका संख्या-2/यो0-5010/2016 में दिनांक-16.01.17 को आयोजित बैठक में विभागीय वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है।

8. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0-......... / टि0 पर प्राप्त है ।

9. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन टि0 पृ0-............/टि0 पर प्राप्त है ।

विश्वासभाजन
ह0/-
(कामेश्वर प्रसाद)
उप सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना ।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप संख्या:-2/यो0-5010/ 2016- पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,बिहार राज्य समूद्रपार नियोजन ब्यूरों,बिहार,पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, विकास, भवन, पटना / लेखा शाखा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
उप सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना ।

ज्ञाप संख्या:-2/यो0-5010 /2016- 163 पटना-01, दिनांक- 15-02-17

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री,श्रम संसाधन विभाग बिहार,पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव /निदेशक,नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार,पटना के निजी सचिव/ वित्त विभाग (बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/2/17
उप सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना ।

U.K